

ओ०पी० सिंह,  
आई०पी०एस०



डीजी परिपत्र संख्या-01/2020  
पुलिस महानिदेशक,  
उत्तर प्रदेश  
गोमती नगर विस्तार-7  
पुलिस मुख्यालय, उ०प्र० लखनऊ।  
दिनांक:जनवरी 3, 2020

प्रिय महोदय,

आप अवगत है कि बीट व्यवस्था प्रणाली को प्रभावी रूप से क्रियान्वयन कराये जाने के संबंध में पुलिस रेगुलेशन के पैरा-63 के अनुसार कानून-व्यवस्था एवं अपराध पर नियंत्रण हेतु पुलिस हल्कों एवं बीट व्यवस्था को प्रभावी करने के निर्देश दिये गये हैं, परन्तु बीट संबंधी निर्देशों का सम्यक तरीके से अनुपालन नहीं हो रहा है, जिसके फलस्वरूप अपराधियों की निगरानी, महिला अपराधों, अपराधियों के विरुद्ध कार्यवाही पर अंकुश एवं कानून-व्यवस्था बनाये रखने में कठिनाईयां हो रही हैं।

2- बीट एवं हल्का प्रणाली को प्रभावी रूप से लागू करने एवं प्रदेश में एकरूपता के दृष्टिगत निम्नलिखित निर्देशों का अनुपालन कराया जाना सुनिश्चित करें:-

#### 1. बीट का आकार-

- जनपदों में पूर्व से चल रहे हल्के/बीट का पुनरीक्षण कर प्रत्येक थाने को हल्का एवं बीट में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक द्वारा दिनांक 07.01.2020 के पूर्व नये रूप से विभाजित किया जायेगा। बीट का निर्धारण करते समय यह देख लिया जाये कि लेखपाल के राजस्व ग्राम का विभाजन न हो, ताकि लेखपाल, कानूनगो एवं हल्का प्रभारी व बीट कर्मचारियों का आपस में समन्वय बना रहे।
- उल्लेखनीय है कि पत्र संख्या:डीजी-चार-स्था०-नियतन/2019/301 दिनांक 06.02.19 के द्वारा उ०प्र० पुलिस बल की जनपदीय शाखाओं के लिए निर्धारित मानक के अनुसार नगरीय थाने में 1097 की आबादी पर एक आरक्षी तथा ग्रामीण क्षेत्र के थाने में 1700 की आबादी पर एक आरक्षी निर्धारित किया गया है। इसी क्रम में जनगणना-2011 एवं उपलब्ध जनशक्ति के आधार पर जनपदवार आदर्श मानक हेतु विचार विमर्श किया जाना ठीक होगा। (संलग्नक-1)
- बीट का आकार इतना बड़ा भी नहीं होना चाहिये, जिससे बीट अधिकारी को कुशलतापूर्वक कार्य करने में कठिनाई हो, तथा इतना छोटा भी नहीं होना चाहिये कि जनशक्ति के आवंटन के लिये कठिनाई उत्पन्न हो। सामान्य रूप से एक बीट में 3000-4000 ग्रामीण व 5000-6000 शहरी नागरिकों को पुलिस की सेवायें प्रदान की जा सकें। दोनों व्यवस्थायें सुनिश्चित की जायें।

- बीट का साइज निर्धारण करते समय शहरी क्षेत्र, ग्रामीण क्षेत्र, वहाँ की जनसंख्या, भौगोलिक विशेषतायें, साम्प्रदायिक संवेदनशीलता इत्यादि का ध्यान रखें एवं इसका स्थानीय स्तर पर आंकलन कर लें। भौगोलिक, राजनैतिक एवं सामाजिक आवश्यकताओं एवं चुनौतियों के दृष्टिगत बीट साइज घटाया बढ़ाया जा सकता है।
- यद्यपि नवीन बीट प्रणाली निम्नांकित प्रस्तरो में वर्णित पद्यति से पूरे राज्य में चलाना अपेक्षित है परन्तु इससे पूर्व दो माह तक दिनांक: 16-01-2020 से 15-03-2020 तक एक प्रयोगात्मक रूप से 100 थानों में प्रारम्भ किया जाय। (1) परिक्षेत्रीय मुख्यालय वाले जनपद के दो-दो थाने चयनित किये जायेंगे। (2) परिक्षेत्रीय मुख्यालय वाले जनपद के अतिरिक्त 07 जनपद कमशः गौतमबुद्धनगर, गाजियाबाद, मुजफ्फरनगर, मथुरा, बिजनौर, जौनपुर एवं सीतापुर के भी दो-दो थानों को चयनित किया जायेगा तथा (3) शेष 50 जनपदों के एक-एक थाने का चयनित किया जायेगा। इस प्रकार 18 परिक्षेत्रीय जनपदों के 36 थाने, 07 उपरोक्त जनपदों के 14 थाने एवं 50 शेष जनपदों के एक-एक थाने सहित कुल 100 थाने इस पायलट प्रोजेक्ट योजना से आच्छादित होंगे।
- पायलेट प्रोजेक्ट के लिए चिन्हित 100 थानों में निम्न प्रस्तरो में वर्णित उच्चतम मानक के संसाधन उपलब्ध होंगे। उसी समय नये अन्य थानों के बीटों में पूर्ववत उपलब्ध संसाधनों से पूर्व की भांति बीट व्यवस्था प्रचलित रहेगी।
- पायलट प्रोजेक्ट के थानों का चयन करते समय समस्त जोनल अपर पुलिस महानिदेशक से यह अपेक्षा होगी कि वे इस मापदण्ड का ध्यान रखें कि प्रत्येक जोन के कुल चयनित थानों में से 50 प्रतिशत शहरी एवं 50 प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्र के थाने हों। समस्त सम्बन्धित द्वारा चयन की कार्यवाही दिनांक: 07-01-2020 तक अवश्य पूर्ण कर ली जाये।
- दिनांक: 08-01-2020 से 15-01-2020 के मध्य बीट बुक के प्रकाशन का कार्य पूर्ण करा लिया जाये तथा बीट पुलिसिंग, सी-प्लान, बीट पुलिसिंग एप एवं अन्य बीट सम्बन्धी कार्यकलापों का बीट पुलिस अधिकारियों को प्रशिक्षण भी प्रदान किया जाये।

## 2. बीट के लिये जनशक्ति का आवंटन-

- जनपद प्रभारी जनपद की जनशक्ति का परीक्षण कर लें तथा थाना कार्यालय, पुलिस लाइन एवं पुलिस कार्यालयों/प्रकोष्ठों में नियुक्त पुलिस बल की समीक्षा कर लें तथा आवश्यकता पड़ने पर 02-03 सेल को विलय कर लें, जहाँ अनावश्यक/आवश्यकता से अधिक जनशक्ति तैनात हैं। वहाँ से नियतन के अनुरूप उन्हें थानों पर तैनात कर दिया जाये। इसी प्रकार सी0सी0टी0एन0एस0 के कियान्वयन के उपरान्त भी कई थानों में कार्यालय कर्मचारियों की संख्या में कटौती नहीं हुयी है। थाना कार्यालय कर्मचारियों का कार्य विभाजन का पुनरीक्षण कर कुछ कर्मचारियों को बीट ड्यूटी हेतु मुक्त किया जा सकता है।

- नक्शा नौकरी का गहनता से अध्ययन कर लें। अनावश्यक ड्यूटी जैसे- बैंक ड्यूटी, स्टेटिक गार्ड, थाने से व्यक्तिगत सुरक्षा, पतारसी-सुरागरसी ड्यूटी या विभिन्न कारणों से थानों से अन्यत्र गये पुलिस कर्मी एवं जनशक्ति का अधिक से अधिक उपयोग किया जाये। यह कार्य पुलिस अधीक्षक स्तर पर करना आवश्यक है।
- पुलिस लाइन्स की मदों में आवश्यकता से अधिक तैनात/कार्यरत पुलिस कर्मियों को तोड़कर बीट में तैनाती हेतु विचार किया जा सकता है।
- थाने पर उपलब्ध जनशक्ति में से न्यूनतम 40 प्रतिशत कर्मचारियों को बीट ड्यूटी हेतु नियोजित किया जाय। बीट निर्धारण सम्बन्धी कार्यवाही दिनांक: 07-01-2020 तक कर लिया जाये। स्थानीय एवं भागौलिक परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए महिला कर्मचारियों का भी बीट ड्यूटी में उचित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जाय।
- बीट में नियुक्त समस्त पुलिस कर्मी सप्ताह में कम से कम तीन दिन अपने बीट क्षेत्र में अवश्य भ्रमण करेंगे।

### 3. संसाधन -

- पायलेट प्रोजेक्ट के लिए चिन्हित थानों के लिए बीट व्यवस्था लागू करने के लिए हल्का प्रभारी उपनिरीक्षक/बीट पुलिस अधिकारियों को निम्नांकित संसाधन दिये जायेंगे :-
  - (I) बीट पुलिस अधिकारियों को प्रशिक्षण देकर एक छोटा शस्त्र दिया जायेगा।
  - (II) वायरलेस सेट, बैटन यथा सम्भव बॉडी वॉर्न कैमरा।
  - (III) सरकारी मोटरसाइकिल।
  - (IV) सी0यू0जी0 फोन (डेटा प्लान सहित)

पूर्व में अपर पुलिस महानिदेशक, पुलिस मुख्यालय एवं अपर पुलिस महानिदेशक, लाजिस्टिक्स के द्वारा जनपदों के लिए आवंटित संसाधनों में से नवीन बीट ड्यूटी हेतु पुनः समायोजन कर आवंटन करेंगे। यदि किसी जनपद में संसाधनों की कमी है तो उसे परिक्षेत्र, जोन अथवा मुख्यालय स्तर पर समायोजन कर आपूर्ति दिनांक: 10-01-2020 से पूर्व की जायेगी।

- यद्यपि बीट बुक पर्यवेक्षक Manual स्वरूप में व्यवहृत होगी, परन्तु नवीन बीट व्यवस्था के लिए पूर्ण रूप से लाभ विभाग को तब प्राप्त होगा, जब पुलिस कार्य में विगत कुछ समय से विकसित किये जा रहे तकनीकी उपायों से इसका समावेश होगा। तथापि तकनीकी सेवायें मुख्यालय के पत्र दिनांक: 13-05-2019 के क्रम में पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 के पत्र संख्या: टीएस-सीसीटीएनएस-98/2018(III)2769 दिनांकित: 24-05-2019 के द्वारा निर्दिष्ट तकनीकी सेवाओं के द्वारा विकसित बीट पुलिस मोबाइल एप में किस प्रकार सी-प्लान, यूपी-112, सी0सी0टी0एन0एस0 एवं यू0पी0 कॉप इत्यादि से प्राप्त सूचनाओं को किस प्रकार इन्टीग्रेट किया जायेगा। एक ई-बीट बुक तथा ऑनलाइन पर्यवेक्षण कैसे किया जायेगा, के सम्बन्ध में एक समिति अपर पुलिस महानिदेशक, तकनीकी सेवायें की

अध्यक्षता में स्वतन्त्र रूप से कार्य करेगी, जिसमें पुलिस महानिरीक्षक मुरादाबाद एवं लखनऊ परिक्षेत्र, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अयोध्या एवं पुलिस अधीक्षक अमरोहा सदस्य के रूप में सम्मिलित होंगे। उक्त समिति प्रश्नगत बीट मोबाइल एप के क्रियान्वयन के साथ-साथ एक माह के अन्दर एक स्वतः स्पष्ट आख्या पुलिस महानिदेशक, उ०प्र० के अवलोकनार्थ प्रस्तुत करेंगे, जिसमें यह उल्लेख किया जायेगा कि इस एप से अब तक किन-किन उद्देश्यों की पूर्ति हुई है और वर्तमान आवश्यकताओं के दृष्टिगत अभी किन बिन्दुओं पर कार्य किया जाना अथवा इस एप को कस्टमाइज किया जाना अथवा एक नया एप विकसित करना आवश्यक है। तब तक बीट पुस्तिका के साथ में तकनीकी उपकरणों/एप का भी उपयोग साथ-साथ करते रहेंगे।

- जैसे लेखपाल को बस्ते दिये जाते हैं उसी प्रकार बीट पुलिस अधिकारी को हिस्ट्रीशीट्स, प्रचलित अपराधी, एन०सी०आर० की रिपोर्ट्स, यूपी-112 की रिपोर्ट्स, 1090 की शिकायत, रजिस्टर नं०: 8 में दर्ज मामले एवं अन्य पुलिस कार्यवाहियों से सम्बन्धित समस्त अभिलेख उनके पास मौजूद रहना चाहिए।
- बीट बुक का प्रारूप संलग्न किया जा रहा है जिसके अनुरूप जनपदों में वितरित किया जाय। सामान्यतः बीट कर्मचारी थाने से स्थानान्तरण पर जाने के समय अपनी बीट बुक साथ लेकर जाता है, जो अवैध है। बीट बुक सरकारी अभिलेख की श्रेणी में माना जायेगा और स्थानान्तरण पर जाने से पहले थाना कार्यालय में जमा करने पर एन०ओ०सी०/नो ड्यूज दिया जायेगा और अनुपालन न होने की दशा में विधिक कार्यवाही अमल में लायी जाये।

#### 4. क्रियान्वयन व्यवस्था -

- बीट में तैनात मुख्य आरक्षी/आरक्षी का नामकरण बीट पुलिस अधिकारी होगा। जनसामान्य में उनका सम्मान बना रहे, उसके लिये पुलिस के हर स्तर पर प्रयत्न किया जायेगा। बीट में होने वाले जनसम्पर्क के कार्यक्रमों में थानाध्यक्ष के साथ हल्का उप निरीक्षक एवं बीट अधिकारियों को भी सही पहचान प्रदान करना चाहिये।
- प्रत्येक बीट का न्यूमेरिकल बीट नम्बर निर्धारित किया जाय पहला दो डिजिट जनपद का, दो डिजिट थाने का तथा दो नम्बर हल्के का तथा दो बीट का नम्बर निर्धारित किया जाये। इससे सम्बन्धित ही मोबाइल नम्बर बीट कर्मचारियों को, उपलब्ध कराये जायेंगे। जनपद की डिजिट संख्या का विवरण संलग्न है। (संलग्नक-2)
- जनसामान्य के मध्य बीट पुलिस अधिकारी का नाम व उनके मोबाइल नंबर का व्यापक प्रचार-प्रसार हो तथा बीट को बेसिक पुलिस यूनिट की तरह विकसित किया जाये।
- एक बीट में एक कर्मचारी ही नियुक्त होगा, लेकिन उसके सीमावर्ती बीट का कर्मचारी उसका लिंक होगा। रात्रि गश्त, दबिश अन्य जोखिम के कार्यों में दोनों एक साथ खाना

हो सकते हैं। किसी विशेष कार्य के लिये आवश्यकता पड़ने पर हल्का प्रभारी कलस्टर बनाकर पूरे हल्के के कर्मचारियों को एक साथ ले जा सकता है।

- बीट पुलिस अधिकारी एवं उसके लिंक अधिकारी को एक साथ कानून-व्यवस्था/विविध अन्य ड्यूटी पर या अवकाश पर नहीं भेजा जायेगा।
- एक बीट एवं हल्के में कर्मचारी एक वर्ष के लिए अनिवार्य रूप से नियुक्त किया जायेगा। गम्भीर शिकायतों एवं अन्य मामलों में उसे हटाने के लिए थाना प्रभारी/ क्षेत्राधिकारी की संयुक्त रिपोर्ट पर ही हटाया जा सकेगा। इसी प्रकार हल्का प्रभारी/उपनिरीक्षक को अपर पुलिस अधीक्षक के अनुमोदन के बाद ही हटाया जा सकेगा।
- बीट सूचना दर्ज कराते समय बीट पुलिस अधिकारी यह अवश्य देख लेंगे कि जो कार्य सरकार से सम्बन्धित चीजे है या कानून-व्यवस्था प्रभावित होने की सम्भावना के दृष्टिगत ही बीट सूचना दर्ज करायेंगे। अनावश्यक रूप से विवादास्पद टिप्पणी जो धार्मिक, राजनैतिक या अन्य सामाजिक, व्यक्तिगत, विभागीय, अनुशासनहीन प्रवृत्ति का इसमें किया जाना उचित नहीं है।

#### 5. बीट पुलिस अधिकारी के कर्तव्य एवं अधिकार -

- ग्राम प्रहरियों के प्रथम पर्यवेक्षण का दायित्व बीट पुलिस अधिकारी को होगा।
- क्षेत्राधिकारी अथवा एस0डी0एम0 या अन्य उच्च पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा बीट क्षेत्र के भ्रमण के दौरान पुलिस अधिकारी उनके साथ अवश्य जायेंगे।
- बीट पुलिस अधिकारी निम्नलिखित व्यक्तियों के Whatsapp नम्बर पर निरन्तर सम्पर्क में रहेंगे और त्यौहार एवं अन्य सामाजिक कार्यक्रमों के सम्बन्ध में भी उनसे निरन्तर समन्वय बनाये रखेंगे। इस आशय हेतु सी-प्लान एफ का उपायोग किया जाये।
  - ग्राम प्रधान/पार्षद
  - ग्राम पंचायत सदस्य/जिला पंचायत सदस्य
  - ग्राम प्रहरी (चौकीदार)
  - बीएलओ
  - कोटेदार
  - विद्यालय/महाविद्यालय के प्रधानाध्यापक एवं अध्यापक
  - सेना/अर्द्धसैनिक बल/पुलिस/होमगार्ड आदि के सेवानिवृत्त व्यक्ति
  - व्यापार मण्डल के स्थानीय प्रतिनिधि
  - आशा बहू
  - आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री
  - क्षेत्र के सम्प्रांत व्यक्ति
  - मंदिर के पुजारी
  - मस्जिद के मुतवल्ली

- बीट क्षेत्र के लाइसेंस धारकों, पासपोर्ट धारकों के नाम, सम्भ्रान्त व्यक्तियों के नाम बीट पुलिस अधिकारी के पास अवश्य हों।
- थाने पर प्राप्त सभी प्रकार के बीट सम्बन्धी प्रपत्र यथा—सम्मन, नोटिस, वारण्ट, प्रार्थना पत्र जॉच, चरित्र सत्यापन, विवेचना सम्बन्धित पासपोर्ट, तामीला एवं अन्य बीट सम्बन्धी कार्य, बीट पुलिस अधिकारी द्वारा ही कराये जायें। इसका अनुपालन न होने पर थाना प्रभारी के विरुद्ध क्षेत्राधिकारी/अपर पुलिस अधीक्षक द्वारा रिपोर्ट देकर कार्यवाही अमल में लायी जाये।
- बीट पुलिस अधिकारी अपने बीट से सम्बन्धित भूमि/जातिगत/साम्प्रदायिक व अन्य विवादों को अपनी बीट पुस्तिका में अंकित कर थाने पर उसकी बीट सूचना दर्ज करायेंगे।
- बीट पुलिस अधिकारी द्वारा अपनी बीट में निवासित समस्त हिस्ट्रीशीटर/सक्रिय अपराधियों/ मफरूर/टाप-10 अपराधियों के सम्बन्ध में निगरानी की जायेगी एवं उनकी गतिविधियों के सम्बन्ध में आवश्यक बीट सूचना थाने पर अंकित करायी जायेगी।
- बीट में होने वाली किसी भी आपराधिक अवैध गतिविधियों जैसे जुआ, अवैध शराब, मादक पदार्थों की बिक्री, पेड़ कटान आदि के सम्बन्ध में जानकारी कर बीट पुस्तिका में अंकित करते हुये थाने पर सूचना अंकित करायेगा।
- बीट पुस्तिका में बीट का इलाका मानचित्र के साथ, जनसंख्या, महत्वपूर्ण इमारतें, राजकीय इमारतें, धार्मिक पूजा-स्थल, विद्यालय/महाविद्यालय, बड़े उत्सव/मेला, साप्ताहिक बाजार इत्यादि की जानकारी होनी चाहिये।
- पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रतिदिन प्रत्येक सर्किल के एक-एक हल्का/बीट की समीक्षा की जायेगी।
- बीट पुलिस अधिकारी द्वारा गुण्डा, उभरते अपराधियों, नौसिखियों, जेल से छूटे अपराधी, स्कूल से निकाले गये विद्यार्थी, बर्खास्त पुलिस अधिकारी तथा ऐसे अपराधी जो बीट में तो नहीं रहते परन्तु वहाँ अपराध करते हैं, पर नजर रखना।
- बीट पुलिस अधिकारी/हल्का उ0नि0 द्वारा 1090 से प्राप्त सूचनाओं के सम्बन्ध में भी अपेक्षित कार्यवाही की जायेगी।
- उपरोक्त के अतिरिक्त प्रभारी द्वारा हल्का/बीट के अन्दर अपने कर्तव्यों के निर्वहन हेतु बीट पुलिस अधिकारियों की सहायता प्राप्त करने हेतु अधिकृत है।

## 6. पर्यवेक्षण —

- बीट व्यवस्था हेतु एक टीम का सृजन किया जायेगा, जिसकी अध्यक्षता अपर पुलिस महानिदेशक तकनीकी सेवायें द्वारा की जायेगी एवं टीम के सदस्य पुलिस महानिरीक्षक लखनऊ परिक्षेत्र, लखनऊ, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अयोध्या एवं पुलिस अधीक्षक अमरोहा होंगे, जिनके द्वारा बीट व्यवस्था एप बनाये जाने हेतु क्या मानक हैं तथा किन-किन संसाधनों की आवश्यकता होगी, इसका मूल्यांकन किया जायेगा।

- बीट पुलिस अधिकारियों का प्रतिदिन पर्यवेक्षण एवं निर्धारित समय पर मिलकर हल्का प्रभारी द्वारा किया जायेगा एवं थाना प्रभारी द्वारा प्रत्येक सप्ताह में रोटेशन के आधार पर समीक्षा एवं पर्यवेक्षण किया जाये। क्षेत्राधिकारी द्वारा बीट पुलिस अधिकारियों का मासिक पर्यवेक्षण किया जायेगा एवं अपर पुलिस अधीक्षक द्वारा हल्का प्रभारी/उपनिरीक्षक का मासिक पर्यवेक्षण किया जाये।
- बीट पुलिस अधिकारी/हल्का उ0नि0 के कार्यों की समीक्षा की रिपोर्ट प्रत्येक माह जनपद के पुलिस अधीक्षक को क्षेत्राधिकारी/अपर पुलिस अधीक्षक द्वारा निम्न प्रारूपों में भेजी जायेगी—

**मुख्य आरक्षी/आरक्षीगण के कार्यों की समीक्षा का प्रारूप (क्षेत्राधिकारी द्वारा कार्यवाही हेतु)**

| नाम बीट पुलिस अधिकारी | अंकित बीट सूचनाओं की सं० | बीट क्षेत्र में भ्रमण की सं० | एच0एस0 की निगरानी की सं० | सक्रिय अपराधियों की निगरानी की सं० | निरोधात्मक कार्यवाही का विवरण |                     |                        | प्राप्त प्रोसेस का विवरण |        |     |             |        |     | जांच प्रार्थना पत्र |        |     | जांच एनसीआर |          |     | सत्यापन     |          |     | अन्य वांछित की गिरफ्तारी/अभियोग के अनावरण में दी गयी लाभप्रद सूचनाओं की संख्या |             |          |     |
|-----------------------|--------------------------|------------------------------|--------------------------|------------------------------------|-------------------------------|---------------------|------------------------|--------------------------|--------|-----|-------------|--------|-----|---------------------|--------|-----|-------------|----------|-----|-------------|----------|-----|--|-------------|----------|-----|
|                       |                          |                              |                          |                                    | संख्या गिरो 151 द0प्र0सं०     | संख्या शस्त्र बरामद | मात्रा अवैध शराब बरामद | सम्मन                    |        |     | वारण्ट      |        |     | नोटिस               |        |     | कुल प्राप्त | कुल जांच | शेष | कुल प्राप्त | कुल जांच | शेष |  | कुल प्राप्त | कुल जांच | शेष |
|                       |                          |                              |                          |                                    |                               |                     |                        | कुल प्राप्त              | तामीला | शेष | कुल प्राप्त | तामीला | शेष | कुल प्राप्त         | तामीला | शेष |             |          |     |             |          |     |  |             |          |     |
| 1                     | 2                        | 3                            | 4                        | 5                                  | 6                             | 7                   | 8                      | 9                        | 10     | 11  | 12          | 13     | 14  | 15                  | 16     | 17  | 18          | 19       | 20  | 21          | 22       | 23  | 24   | 25          | 26       | 27  |

नोट—कार्यों के मूल्यांकन के आधार पर क्षेत्राधिकारी द्वारा एक समीक्षात्मक टिप्पणी अंकित किया जायेगा।

**चौकी/हल्का उ0नि0 के कार्यों की समीक्षा का प्रारूप (अपर पुलिस अधीक्षक द्वारा कार्यवाही हेतु)**

| नाम उ0नि0 | हल्का बुक अद्ययधिक कला | विवेचना निस्तारण | वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी | एन0बी0 डब्लू का तामीला | एच0एस0 की वेकिंग | संज्ञान0क की वेकिंग/क्लाने एच0एस0 वेकिंग गये | रजि0 नो 8 की ग्रामवार वेकिंग | सक्रिय अपराधियों की निगरानी की सूची | गुण्डा/जिता बदर की कार्यवाही | अवांछित अपराधी की वेकिंग | प्रार्थना पत्रों का निस्तारण | आई0जी0 का निस्तारण | 109 द0प्र0सं० में कार्यवाही | 25 आर्स एक्ट की कार्यवाही | 69 आबकारी अधि | एन0डी0 पी0एस0 एक्ट | जुआ अधि | 107/116/151 द0प्र0सं० | 122 द0प्र0सं० | जमानत निरस्तीकरण | शस्त्र निरस्तीकरण | अफूहा की बरामदगी | गैंग दर्ज कराने की कार्यवाही | गर्फिया विन्हीकरण | समीक्षात्मक टिप्पणी |
|-----------|------------------------|------------------|--------------------------------|------------------------|------------------|--|------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|--------------------------|------------------------------|--------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------|--------------------|---------|-----------------------|---------------|------------------|-------------------|------------------|------------------------------|-------------------|---------------------|
| 1         | 2                      | 3                | 4                              | 5                      | 6                | 7  | 8                            | 9                                   | 10                           | 11                       | 12                           | 13                 | 14                          | 15                        | 16            | 17                 | 18      | 19                    | 20            | 21               | 22                | 23               | 24                           | 25                | 26                  |

नोट—कार्यों के मूल्यांकन के आधार पर अपर पुलिस अधीक्षक द्वारा एक समीक्षात्मक टिप्पणी अंकित किया जायेगा।

**7. समन्वय —**

- इस व्यवस्था के सफल क्रियान्वयन के पश्चात फीडबैक के आधार पर इसमें समुचित बदलाव करते हुए दो माह के ट्रायल के पश्चात सम्पूर्ण प्रदेश में लागू किया जायेगा।

- बीट पुलिस अधिकारी अपने क्षेत्र में पुलिस विभाग की योजनाओं यथा यूपी0-112, 1090 Emergency App, UPCOP App, C-Plan App, Trinetra App आदि का विस्तृत प्रचार एवं प्रसार करेगा ताकि जनता के लोग इससे लाभान्वित हो सकें एवं कर्मचारियों का जनता से बेहतर समन्वय स्थापित हो सके।
- बीट पुलिस अधिकारी द्वारा पायलेट प्रोजेक्ट के दौरान सीसीटीएनएस पार्टल पर उपलब्ध बीट पुलिस एप्प का व्यापक उपयोग करेंगे जिससे कि बाद में फीड बैक के आधार पर बीट पुलिस एप्प को अधिक से अधिक कारगर एवं प्रभावशाली बनाया जा सके।
- प्रत्येक बीट में न्यूनतम 50 प्रभावी व्यक्तियों को अलग-अलग जाति, धर्म एवं आयु समूह में चुना जाये जो कि बीट सदस्य के रूप में कार्य करेंगे। इनके साथ C-Plan के सदस्य, डिजिटल वालंटियर एवं ग्राम प्रधान, पूर्व प्रधान, चौकीदार, आशा बहू एवं अन्य सरकारी/अर्द्धसरकारी विभागों से जुड़े कर्मचारी, विभागों के रिटायर्ड कर्मी, रिटायर्ड प्रिंसिपल, टीचर्स एवं व्यापारी वर्ग, ज्वैलर्स आदि की सूची बनाकर इनकी मीटिंग हेतु पंचायत भवन अथवा अन्य सरकारी भवन निर्धारित किये जायें, जहाँ हल्का प्रभारी/बीट पुलिस अधिकारी जाकर प्रत्येक माह में एक बार मीटिंग करेंगे।
- बीट पुलिस अधिकारी एवं हल्का प्रभारी यूपी-112 की पीआरवी से समन्वय/सम्पर्क रखेंगे ताकि आवश्यकता पड़ने पर इवेंट बनाकर उन्हें बुलाया जा सकता है। यूपी-112 की भूमिका समाप्त होने के पश्चात प्रकरण को हल्का प्रभारी या बीट पुलिस अधिकारी द्वारा ही मामले का निस्तारण सुनिश्चित कराया जाये।
- बीट पुलिस अधिकारी एवं हल्का प्रभारी C-Plan App के सदस्य/एस-10, डिजिटल वालंटियर आदि से सम्बन्धित जनता के व्यक्तियों का एक Whatsapp ग्रुप बनायेगा और उनसे लगातार सम्पर्क एवं समन्वय बनाये रखेगा।
- नगर क्षेत्र में पसारा की लाइसेंसी एजेंसियों से हल्का प्रभारी एवं बीट पुलिस अधिकारी तालमेल एवं समन्वय स्थापित रखेंगे।


3- बीट एवं हल्का में कार्यरत कर्मियों को अपराधों की रोकथाम, दुष्चरित्रों की निगरानी हेतु एवं अन्य शासकीय कार्य हेतु उपयोगार्थ बीट बुक का प्रारूप संलग्न किया जा रहा है। पर्यवेक्षणीय अधिकारी द्वारा बीट एवं हल्का कर्मिकों को बीट बुक उपलब्ध कराने एवं समय-समय पर इसकी चेकिंग करते रहे, ताकि स्थानीय स्तर पर बीट से सम्बन्धित घटनाओं का अभिलेखीकरण एवं प्रभावी विधिक कार्यवाही सुनिश्चित की जा सके।  
(संलग्नक-3 नमूना बीट बुक)



4- अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि मुख्यालय द्वारा निर्गत किये जा रहे दिशा-निर्देशों का गहन अध्ययन कर पायलट प्रोजेक्ट बीट व्यवस्था को अपने अधीनस्थ जनपदों में प्रभावी ढंग से दिनांक: 16.01.2020 से लागू कराये जाने का कष्ट करें, ताकि जनपद में घटित होने वाले अपराधों पर प्रभावी ढंग से अंकुश लगाया जा सके एवं कानून-व्यवस्था बनी रहे।

संलग्नक: यथोपरि।

भवदीय,



(ओपी सिंह)

समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक,  
प्रभारी जनपद उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपि: निम्नांकित को कृपया सूचनार्थ एवं अग्रेतर कार्यवाही हेतु:-

1. समस्त जोनल अपर पुलिस महानिदेशक, उ०प्र०।
2. समस्त परिक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उप महानिरीक्षक, उ०प्र०।

जनपद मे प्रति पुलिस कर्मी पर वर्तमान में निगरानी हेतु जनसंख्या (संलग्नक-1)

| क्र० सं० | जनपद            | जनपद की जनसंख्या (जनगणना 2011) | उपलब्ध पुलिस बल (आरक्षी व मु० आरक्षी) | उपलब्ध पुलिस बल (आरक्षी व मु० आरक्षी का 70 %) | प्रति पुलिस कर्मी पर जनसंख्या |
|----------|-----------------|--------------------------------|---------------------------------------|---|-------------------------------|
| 1        | Prayagraj       | 5954391                        | 5236                                  | 3665  | 1625                          |
| 2        | Moradabad       | 4772006                        | 3092                                  | 2164  | 2205                          |
| 3        | Ghaziabad       | 4681645                        | 2845                                  | 1992  | 2351                          |
| 4        | Azamgarh        | 4,613,913                      | 2600                                  | 1820  | 2535                          |
| 5        | Lucknow         | 4589838                        | 7977                                  | 5584  | 822                           |
| 6        | Kanpur Nagar    | 4581268                        | 6036                                  | 4225  | 1084                          |
| 7        | Jaunpur         | 4,494,204                      | 2560                                  | 1792  | 2508                          |
| 8        | Sitapur         | 4,483,992                      | 1328                                  | 930   | 4824                          |
| 9        | Bareilly        | 4448359                        | 3319                                  | 2323  | 1915                          |
| 10       | Gorakhpur       | 4,440,895                      | 3673                                  | 2571  | 1727                          |
| 11       | Agra            | 4,418,797                      | 4301                                  | 3011  | 1468                          |
| 12       | Muzaffarnagar   | 4,143,512                      | 1930                                  | 1351  | 3067                          |
| 13       | Hardoi          | 4,092,845                      | 2328                                  | 1630  | 2512                          |
| 14       | Kheri           | 4,021,243                      | 2474                                  | 1732  | 2322                          |
| 15       | Sultanpur       | 3,797,117                      | 1410                                  | 987   | 3847                          |
| 16       | Bijnor          | 3,682,713                      | 2247                                  | 1573  | 2341                          |
| 17       | Budaun          | 3,681,896                      | 2224                                  | 1557  | 2365                          |
| 18       | Varanasi        | 3,676,841                      | 5431                                  | 3802  | 967                           |
| 19       | Aligarh         | 3,673,889                      | 2960                                  | 2072  | 1773                          |
| 20       | Ghazipur        | 3,620,268                      | 2399                                  | 1679  | 2156                          |
| 21       | Kushinagar      | 3564544                        | 1611                                  | 1128  | 3161                          |
| 22       | Bulandshahar    | 3,499,171                      | 2023                                  | 1416  | 2471                          |
| 23       | Bahraich        | 3,487,731                      | 1901                                  | 1331  | 2621                          |
| 24       | Saharanpur      | 3,466,382                      | 1985                                  | 1390  | 2495                          |
| 25       | Meerut          | 3,443,689                      | 3080                                  | 2156  | 1597                          |
| 26       | Gonda           | 3,433,919                      | 2463                                  | 1724  | 1992                          |
| 27       | Rae Bareli      | 3,405,559                      | 1882                                  | 1317  | 2585                          |
| 28       | Barabanki       | 3260699                        | 2133                                  | 1493  | 2184                          |
| 29       | Ballia          | 3,239,774                      | 2191                                  | 1534  | 2112                          |
| 30       | Pratapgarh      | 3,209,141                      | 2385                                  | 1670  | 1922                          |
| 31       | Unnao           | 3,108,367                      | 2539                                  | 1777  | 1749                          |
| 32       | Deoria          | 3,100,946                      | 2429                                  | 1700  | 1824                          |
| 33       | Shahjahanpur    | 3,006,538                      | 2273                                  | 1591  | 1890                          |
| 34       | Maharajganj     | 2,684,703                      | 1780                                  | 1246  | 2155                          |
| 35       | Fatehpur        | 2,632,733                      | 2236                                  | 1565  | 1682                          |
| 36       | Siddharth Nagar | 2,559,297                      | 1451                                  | 1016  | 2520                          |
| 37       | Mathura         | 2,547,184                      | 2580                                  | 1806  | 1410                          |
| 38       | Firozabad       | 2,498,156                      | 1945                                  | 1362  | 1835                          |

|    |                     |           |      |      |      |
|----|---------------------|-----------|------|------|------|
| 39 | Mirzapur            | 2496970   | 1953 | 1367 | 1826 |
| 40 | Ayodhya             | 2,470,996 | 2556 | 1789 | 1381 |
| 41 | Basti               | 2,464,464 | 2130 | 1491 | 1653 |
| 42 | Ambedkar Nagar      | 2,397,888 | 1563 | 1094 | 2192 |
| 43 | Rampur              | 2335819   | 1961 | 1373 | 1702 |
| 44 | Mau                 | 2,205,968 | 1681 | 1177 | 1875 |
| 45 | Balrampur           | 2,148,665 | 1484 | 1039 | 2068 |
| 46 | Pilibhit            | 2,031,007 | 1690 | 1183 | 1717 |
| 47 | Jhansi              | 1,998,603 | 2244 | 1571 | 1272 |
| 48 | Chandauli           | 1,952,756 | 1661 | 1163 | 1680 |
| 49 | Farrukhabad         | 1,885,204 | 1605 | 1124 | 1678 |
| 50 | Mainpuri            | 1,868,529 | 1393 | 975  | 1916 |
| 51 | Sonbhadra           | 1,862,559 | 1644 | 1151 | 1618 |
| 52 | Amroha              | 1,840,221 | 1326 | 928  | 1983 |
| 53 | Banda               | 1,799,410 | 1569 | 1098 | 1638 |
| 54 | Kanpur Dehat        | 1,796,184 | 1715 | 1201 | 1496 |
| 55 | Etah                | 1,774,480 | 1544 | 1081 | 1642 |
| 56 | Sant Kabir Nagar    | 1,715,183 | 1178 | 825  | 2080 |
| 57 | Jalaun              | 1,689,974 | 1476 | 1033 | 1636 |
| 58 | Kannauj             | 1,656,616 | 1350 | 945  | 1753 |
| 59 | Gautam Buddha Nagar | 1,648,115 | 2668 | 1868 | 882  |
| 60 | Kaushambi           | 1,599,596 | 1375 | 963  | 1662 |
| 61 | Etawah              | 1,581,810 | 1704 | 1193 | 1326 |
| 62 | Sant Ravidas Nagar  | 1,578,213 | 1055 | 739  | 2137 |
| 63 | Hathrash            | 1,564,708 | 1227 | 859  | 1822 |
| 64 | Kashganj            | 1,436,719 | 1217 | 852  | 1686 |
| 65 | Auraiya             | 1,379,545 | 1423 | 996  | 1385 |
| 66 | Baghpat             | 1,303,048 | 1074 | 752  | 1733 |
| 67 | Lalitpur            | 1,221,592 | 1297 | 908  | 1346 |
| 68 | Shrawasti           | 1,117,361 | 934  | 654  | 1709 |
| 69 | Hamirpur            | 1,104,285 | 1147 | 803  | 1375 |
| 70 | Chitrakoot          | 991,730   | 999  | 699  | 1418 |
| 71 | Mahoba              | 875,958   | 931  | 652  | 1344 |
| 72 | Sambhal             | 2,192,933 | 1260 | 882  | 2486 |
| 73 | Amethi              | 1,867,678 | 1306 | 914  | 2043 |
| 74 | Hapur               | 1,338,000 | 1097 | 768  | 1742 |
| 75 | Shamli              | 1,313,650 | 905  | 634  | 2074 |

**All District of Uttar Pradesh**

(संलग्नक-2)

| Sl.No | District            |
|-------|---------------------|
| 1     | Agra                |
| 2     | Aligarh             |
| 3     | Ambedkarnagar       |
| 4     | Amethi              |
| 5     | Amroha              |
| 6     | Auraiya             |
| 7     | Ayodhya             |
| 8     | Azamgarh            |
| 9     | Badaun              |
| 10    | Baghpat             |
| 11    | Bahraich            |
| 12    | Ballia              |
| 13    | Balrampur           |
| 14    | Banda               |
| 15    | Barabanki           |
| 16    | Bareilly            |
| 17    | Basti               |
| 18    | Bhadohi             |
| 19    | Bijnor              |
| 20    | Bulandshahar        |
| 21    | Chandauli           |
| 22    | Chitrakoot          |
| 23    | Deoria              |
| 24    | Etah                |
| 25    | Etawah              |
| 26    | Fatehgarh           |
| 27    | Fatehpur            |
| 28    | Firozabad           |
| 29    | Gautam Buddha Nagar |
| 30    | Ghaziabad           |
| 31    | Ghazipur            |
| 32    | Gonda               |
| 33    | Gorakhpur           |
| 34    | Hamirpur            |
| 35    | Hapur               |
| 36    | Hardoi              |
| 37    | Hathras             |
| 38    | Jalaun              |

| Sl.No | District         |
|-------|------------------|
| 39    | Jaunpur          |
| 40    | Jhansi           |
| 41    | Kannauj          |
| 42    | Kanpur Dehat     |
| 43    | Kanpur Nagar     |
| 44    | Kasganj          |
| 45    | Kaushambi        |
| 46    | Kheri            |
| 47    | Kushinagar       |
| 48    | Lalitpur         |
| 49    | Lucknow          |
| 50    | Mahoba           |
| 51    | Mahrajganj       |
| 52    | Mainpuri         |
| 53    | Mathura          |
| 54    | Mau              |
| 55    | Meerut           |
| 56    | Mirzapur         |
| 57    | Moradabad        |
| 58    | Muzaffarnagar    |
| 59    | Pilibhit         |
| 60    | Pratapgarh       |
| 61    | Prayagraj        |
| 62    | Raebareli        |
| 63    | Rampur           |
| 64    | Saharanpur       |
| 65    | Sambhal          |
| 66    | Sant Kabir Nagar |
| 67    | Shahjahanpur     |
| 68    | Shamli           |
| 69    | Shrawasti        |
| 70    | Siddharthnagar   |
| 71    | Sitapur          |
| 72    | Sonbhadra        |
| 73    | Sultanpur        |
| 74    | Unnao            |
| 75    | Varanasi         |



# बीट बुक

बीट.....

ग्राम/मोहल्ले/कालोनियों के नाम.....

थाना.....

जनपद.....

## अनुक्रमणिका

| क्र०सं० | भाग          | बीट पुस्तिका में अंकित विवरण   | पृष्ठ संख्या |
|---------|--------------|--|--------------|
| 1.      |              | समस्त अधिकारीगण के मोबाइल नम्बर  | 1            |
| 2.      |              | प्राक्कथन  | 2            |
| 3.      |              | बीट/हल्का से संबंधित कर्मियों एवं अपराधियों का प्रारूप   | 3            |
| 4.      |              | उच्चाधिकारियों द्वारा रिमार्क  | 4            |
| 5.      |              | बीट आरक्षी के कर्तव्य  | 5-6          |
| 6.      |              | बीट आरक्षियों का विवरण   | 7            |
| 7.      |              | बीट आरक्षियों द्वारा बीट क्षेत्र का भ्रमण  | 8            |
|         | <b>भाग-1</b> | <b>भौगोलिक विवरण एवं सामान्य जानकारी</b>   | 9            |
| 8.      | 1.1          | मानचित्र   | 10           |
| 9.      | 1.2          | बीट में पड़ने वाले स्थानों का विवरण  | 11           |
| 10.     | 1.3          | ग्राम में लगने वाले मेले/वार्षिक आयोजन/कवि सम्मेलन /जयंती/स्थानीय त्यौहारों का विवरण                   | 12           |
| 11.     | 1.4          | घुमन्तू जन-जाति के लोगों का विवरण  | 13           |
| 12.     | 1.5          | अन्य विवरण   | 14           |
|         | <b>भाग-2</b> | <b>बीट के ग्राम/मोहल्लों के प्रमुख व्यक्तियों के नाम</b>   | 15           |
| 13.     | 2.6          | क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों के नाम, पता व मो०नं०  | 16           |
| 14.     | 2.7          | पेंसनर्स/गणमान्य व्यक्तियों के नाम, पता व मो०नं०   | 17           |
| 15.     | 2.8          | शस्त्र लाइसेंस धारियों के नाम, पता व मो०नं०  | 18           |
| 16.     | 2.9          | ग्राम सुरक्षा समिति के सदस्यों के नाम, पता व मो०नं०  | 19           |
| 17.     | 2.10         | उप-धनाढ्य व्यक्ति जिनके आय के श्रोत संदिग्ध हैं।   | 20           |
| 18.     | 2.11         | कुलिस के मददगारों के नाम, पता व मो०नं०   | 21           |
| 19.     | 2.12         | उप प्रधान/वार्ड मेम्बर/ग्राम प्रहरी एवं लेखपाल के नाम पता व मो०नं०/शासकीय/अर्धशासकीय व्यक्तियों के नाम | 22           |
| 20.     | 2.13         | पुजारी/मौलवी/मदरसा संचालक के नाम व मो०नं०  | 23           |
| 21.     | 2.14         | अन्य महत्वपूर्ण व्यक्ति  | 24           |
|         | <b>भाग-3</b> | <b>विवाद/शत्रुता</b>   | 25           |
| 22.     | 3.15         | विवाद/शत्रुता  | 26           |
| 23.     | 3.16         | अवैध सम्बन्धों के सम्बन्ध में विवाद  | 27           |
| 24.     | 3.17         | महिलाओं से छेड़खानी के सम्बन्ध में विवाद   | 28           |
| 25.     | 3.18         | अन्य कोई विवाद   | 29           |
|         | <b>भाग-4</b> | <b>आपराधिक ठिकानों का विवरण</b>  | 30           |

|     |              |  |    |
|-----|--------------|--|----|
| 26. | 4.19         | जुआ घर/जुआ खेलने के स्थान  | 30 |
| 27. | 4.20         | वैश्यावृत्ति कराने वाले/स्थान/रैकेट  | 31 |
| 28. | 4.21         | अवैध शराब बनाने वाले/स्थान   | 31 |
| 29. | 4.22         | अवैध असलहा बनाने वाले/बेचने वाले   | 32 |
| 30. | 4.23         | चोरी/लूट की सम्पत्ति खरीदने वाले   | 32 |
| 31. | 4.24         | अश्लील साहित्य बेचने वाले/वीडियो दिखाने वालों के नाम                                   | 33 |
| 32. | 4.25         | मादक पदार्थ जैसे हेरोईन/चरस/गांजा बिकने वाले स्थान व सम्बन्धित व्यक्ति                 | 34 |
| 33. | 4.26         | ऐसे स्थान जहाँ महिलाओं से छेड़खानी व छींटाकशी की शिकायत है।                            | 35 |
| 34. | 4.27         | अन्य कोई आपराधिक ठिकाना  | 36 |
|     | <b>भाग-5</b> | -  | 37 |
| 35. | 5.28         | एफ0आई0आर (अब तक जिसमें तनाव हो)  | 38 |
| 36. | 5.29         | एन0सी0आर0 (अब तक जिसमें तनाव हो)   | 39 |
| 37. | 5.30         | बीट सूचना  | 40 |
| 38. | 5.31         | बीट आरक्षी द्वारा किये गये सराहनीय कार्य   | 41 |
|     | <b>भाग-6</b> | अपराधियों की सुरागरसी/पतारसी   | 42 |
| 39. | 6.32         | गत 10 वर्षों में निम्न शीर्षक में जेल गये अपराधियों का विवरण                           | 43 |
| 40. | 6.33         | गुण्डा अधिनियम के अपराधी   | 44 |
| 41. | 6.34         | ईनामी/फरार/मफरूर अपराधी  | 45 |
| 42. | 6.35         | हिस्ट्रीशीटर्स/सजायावी/पेशेवर अपराधी   | 46 |
| 43. | 6.36         | माफिया के नाम  | 47 |
| 44. | 6.37         | गैंगेस्टर एक्ट एवं रजिस्टर्ड गैंगों के सदस्यों का विवरण                                | 48 |
|     | <b>भाग-7</b> | -  | 49 |
| 45. | 7.38         | आवंटित प्रार्थना पत्रों की जाँच का विवरण   | 50 |
| 46. | 7.39         | आवंटित एन0सी0आर0 की जाँच का विवरण  | 51 |
| 47. | 7.40         | सम्मान/नोटिस/जमानती वारण्टों की तामीला का विवरण  | 52 |
| 48. | 7.41         | विभिन्न प्रकार के सत्यापन ( पासपोर्ट/शस्त्र लाइसेंस/ चरित्र सत्यापन इत्यादि ) का विवरण | 53 |
| 49. | 7.42         | बीट में मीटिंग   | 54 |
| 50. | 7.43         | बीट भ्रमण/रात्रि विश्राम एवं अन्य महत्वपूर्ण विवरण                                     | 55 |
| 51. | 7.44         | अन्य महत्वपूर्ण कार्य  | 56 |
| 52. |              | अपराधी सूचना फार्म   | 57 |
| 53. | -            | अपराधी सूचना प्रारूप   | 58 |
| 54. |              | अवैध सम्बन्धों का विवरण  | 58 |

|     |   |    |
|-----|---|----|
| 55. | अपराधिक इतिहास                                      | 58 |
| 56. | साथी अपराधियों के नाम                               | 59 |
| 57. | जामिनदारों के नाम                                   | 60 |
| 58. | पुलिसकर्मी जो पहचानते हैं/संरक्षण देने वालों के नाम | 61 |
| 59. | बीट क्षेत्र में सी0सी0टी0वी0 कैमरा                  | 62 |
| 60. | बीट क्षेत्र में अन्य कोई समस्या                     | 63 |



# समस्त अधिकारीगण के मोबाइल नम्बर

| क्र०सं० | अधिकारीगण                     | मोबाइल नम्बर |
|---------|-------------------------------|--------------|
| 1       | श्रीमान् पुलिस महानिदेशक      | 9454400101   |
| 2       | श्रीमान् अपर पुलिस महानिदेशक  | 945440       |
| 3       | श्रीमान् पुलिस महानिरीक्षक    | 945440       |
| 4       | श्रीमान् पुलिस उपमहानिरीक्षक  | 945440       |
| 5       | श्रीमान् वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक | 945440       |
| 6       | श्रीमान् अपर पुलिस अधीक्षक    | 945440       |
| 7       | श्रीमान् क्षेत्राधिकारी       | 945440       |
| 8       | श्रीमान् प्रभारी निरीक्षक     | 945440       |
| 9       | श्रीमान् थानाध्यक्ष           | 945440       |
| 10      | श्रीमान् हल्का प्रभारी        | 945440       |
|         |                               |              |
|         |                               |              |
|         |                               |              |
|         |                               |              |
|         |                               |              |
|         |                               |              |
|         |                               |              |
|         |                               |              |
|         |                               |              |
|         |                               |              |

## प्राक्कथन

पुलिस व्यवस्था की छोटी इकाई बीट होती है, जिसका प्रभार आरक्षी के पास होता है। कई बीट मिलकर हल्का या चौकी क्षेत्र बनता है, जिसका प्रभारी उपनिरीक्षक होता है। बीट आरक्षी का कर्तव्य होता है कि वह अपने बीट के ग्राम/मोहल्लों से सम्बन्धित जानकारियाँ जैसे-अपराधियों का विवरण, अवैध शराब के अड्डे, भूमि विवादों का विवरण आदि रखे व महत्वपूर्ण सूचनाओं को बीट सूचना के रूप में थाने पर अंकित कराये। उत्तर प्रदेश पुलिस रेगुलेशन के पेरा-63 में बीट सम्बन्धी निर्देश अंकित हैं। अभिसूचना संकलन, अपराध नियंत्रण एवं जनता के साथ संवाद व पुलिस छवि में बीट कान्सटेबल की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। दुर्भाग्य से गत कुछ वर्षों में बीट प्रणाली प्रभावी रूप से क्रियान्वित नहीं हो रही है।

जनपद में बीट प्रणाली को सुदृढ़ करने के लिए प्रत्येक थाना क्षेत्र को छोटी-छोटी बीट में विभक्त कर दिया गया है। एक बीट में लगभग चार ग्राम/मोहल्ले रखे गये हैं। इन बीटों के ग्राम/मोहल्ले यथावत रहेंगे व बार-बार बदले नहीं जायेंगे। प्रत्येक बीट का प्रभारी एक आरक्षी होगा। बीट आरक्षी अपनी बीट के विषय में समस्त जानकारी रखेगा व उन्हें बीट पुस्तिका में दर्ज करेगा।

बीट आरक्षी के लिए निम्न निर्देश जारी किये जाते हैं :-

- 1- प्रत्येक बीट आरक्षी सप्ताह में दिन के समय कम से कम दो बार ग्राम/मोहल्लों का भ्रमण करेगा एवं वहाँ सभी व्यक्तियों से वार्ता/मीटिंग कर सूचना एकत्रित करेगा।
- 2- अपनी बीट से सम्बन्धित सभी विवादों को अपनी बीट बुक में अंकित करे एवं थाने पर अपनी बीट सूचना नोट कराये।
- 3- प्रत्येक बीट आरक्षी स्वयं को अपनी बीट का प्रभारी समझे एवं उस बीट में होने वाली किसी भी आपराधिक गतिविधि जैसे-जुआ, अवैध शराब, मादक पदार्थों की बिक्री, महत्वपूर्ण जमीन सम्बन्धी विवाद आदि को रोकने के लिए स्वयं जिम्मेदार होगा।
- 4- बीट में रहने वाले समस्त अपराधी बीट आरक्षी को निगरानी हेतु आवंटित माने जायेंगे।
- 5- प्रत्येक बीट आरक्षी माह में कम से कम दो बार बीट सूचना अंकित करायेगा।
- 6- प्रत्येक बीट आरक्षी अपने बीट में जनता की अपेक्षाओं के अनुरूप पुलिसिंग प्राथमिकता निर्धारित करेगा।

प्रत्येक थाने से एक बीट आरक्षी प्रत्येक रविवार को दोपहर 12:00 बजे जनपद प्रभारी के कार्यालय में उपस्थित होगा, जहाँ जनपद प्रभारी द्वारा प्रत्येक आरक्षी को बीट पुस्तिका में संकलित सूचनाओं व उसकी अपनी बीट के बारे में जानकारी कर विस्तृत समीक्षा की जायेगी। अव्यक्त कार्य करने वाले कर्मचारियों को पुरस्कृत किया जायेगा एवं लापरवाही बरतने वालों को दण्डित किया जायेगा। क्षेत्राधिकारी/अपर पुलिस अधीक्षक भी थानों के भ्रमण के दौरान उपरोक्त बिन्दुओं पर समीक्षा करें एवं कर्मचारियों की मीटिंग कर उन्हें मार्ग दर्शन दें।

मुझे पूर्ण आशा है कि यदि जनपद में समस्त पुलिस कर्मचारी अपराध नियंत्रण की जिम्मेदारी समझें एवं उपरोक्तानुसार कार्य करें तो निश्चित रूप से जनपद के अपराधों में कमी आयेगी एवं यातायात व्यवस्था में सुधार आयेगा और जनता में पुलिस के प्रति विश्वास की उत्तरोत्तर वृद्धि होगी।

शुभकामनाओं सहित।

## बीट / हल्का से संबंधित कर्मियों का प्रारूप

| <b>थाना</b> |                |                          |                 |  |                 |   |  |
|-------------|----------------|--------------------------|-----------------|--|-----------------|---|--|
| नाम<br>थाना | हल्का<br>नम्बर | हल्का<br>उ०नि०<br>का नाम | मोबाइल<br>नम्बर | बीट नं० व बीट<br>में नियुक्त<br>मु०आ०/आरक्षी<br>का नाम | मोबाइल<br>नम्बर | बीट में नियुक्त मु०आ०/<br>आरक्षी को आवंटित<br>ग्रामों, मोहल्लों का<br>विवरण | ग्राम में<br>पड़ने वाले<br>मजदूरों का<br>नाम |
| 1           | 2              | 3                        | 4               | 5  | 6               | 7   | 8  |
|             |                |                          |                 |  |                 |   |  |
|             |                |                          |                 |  |                 |   |  |
|             |                |                          |                 |  |                 |   |  |
|             |                |                          |                 |  |                 |   |  |
|             |                |                          |                 |  |                 |   |  |
|             |                |                          |                 |  |                 |   |  |
|             |                |                          |                 |  |                 |   |  |
|             |                |                          |                 |  |                 |   |  |
|             |                |                          |                 |  |                 |   |  |
|             |                |                          |                 |  |                 |   |  |
|             |                |                          |                 |  |                 |   |  |
|             |                |                          |                 |  |                 |   |  |
|             |                |                          |                 |  |                 |   |  |

नोट: यह प्रारूप आवश्यकतानुसार एक से अधिक पृष्ठ का बनाया जा सकता है।

# उच्चाधिकारियों द्वारा रिमार्क

| क्र०सं० | चेकिंग माह | हल्का प्रभारी/थाना प्रभारी | क्षेत्राधिकारी | अपर पुलिस अधीक्षक | पुलिस अधीक्षक | रिमार्क |
|---------|------------|----------------------------|----------------|-------------------|---------------|---------|
| 1       | 2          | 3                          | 4              | 5                 | 6             | 7       |
|         |            |                            |                |                   |               |         |
|         |            |                            |                |                   |               |         |
|         |            |                            |                |                   |               |         |
|         |            |                            |                |                   |               |         |
|         |            |                            |                |                   |               |         |
|         |            |                            |                |                   |               |         |
|         |            |                            |                |                   |               |         |
|         |            |                            |                |                   |               |         |
|         |            |                            |                |                   |               |         |
|         |            |                            |                |                   |               |         |
|         |            |                            |                |                   |               |         |
|         |            |                            |                |                   |               |         |
|         |            |                            |                |                   |               |         |
|         |            |                            |                |                   |               |         |
|         |            |                            |                |                   |               |         |
|         |            |                            |                |                   |               |         |
|         |            |                            |                |                   |               |         |
|         |            |                            |                |                   |               |         |
|         |            |                            |                |                   |               |         |
|         |            |                            |                |                   |               |         |
|         |            |                            |                |                   |               |         |

नोट: यह प्रारूप आवश्यकतानुसार एक से अधिक पृष्ठ का बनाया जा सकता है।

## बीट आरक्षी के कर्तव्य

| क्र०सं० | कर्तव्य  |
|---------|--|
| 1       | क्षेत्र में अपराध की रोकथाम करना   |
| 2       | जनता के प्रति विनम्र और विचारवान होना  |
| 3       | जनता के प्रति सेवा भाव से अपने कर्तव्य का पालन करना  |
| 4       | निर्धारित व साफ सुथरी वर्दी धारण करना  |
| 5       | मा० न्यायालय/उच्च अधिकारियों द्वारा जारी आदेशों का पालन करना   |
| 6       | क्षेत्र के फरार अपराधियों की खोज/तलाश करना   |
| 7       | घूमने वाली जनजातियों/घुमक्कड़ संदिग्ध व्यक्तियों पर नजर रखना   |
| 8       | हिस्ट्रीशीटर की निगरानी करना एवं निगरानी की समीक्षा राजपत्रित अधिकारी द्वारा स्वयं करायी जाय   |
| 9       | क्षेत्र में घटने वाली छोटी से छोटी घटनाओं को भी संजीदगी से लेकर उसकी सूचना उच्च अधिकारियों को देना, बीट सूचना अंकित कराना एवं समस्या का निराकरण शीघ्रातिशीघ्र कराना            |
| 10      | क्षेत्र के सभी सम्भ्रान्त एवं गणमान्य व्यक्तियों के बारे में जानकारी रखना व उनसे लगातार सम्पर्क कर पुलिस एवं जनता के बीच सद्भाव बढ़ाने का प्रयास करना                          |
| 11      | क्षेत्र के समस्त शस्त्र धारकों/शस्त्र की दुकानों की जानकारी रखना एवं उनके मोबाइल नम्बर बीट बुक में अंकित किया जाय  |
| 12      | क्षेत्र में गोपनीय जानकारी प्राप्त करना व उनकी सूचना उच्च अधिकारियों को देना   |
| 13      | क्षेत्र में रहने वाले वरिष्ठ नागरिकों की जानकारी प्राप्त कर उनसे लगातार सम्पर्क बनाये रखना एवं मोबाइल नम्बर बीट बुक में अंकित करना   |
| 14      | क्षेत्र में साइबर कैफे/पी०सी०ओ० की पूरी जानकारी रखना एवं उनके सम्पर्क नम्बर बीट बुक में अंकित करना   |
| 15      | ए०टी०एम० एवं उनके सुरक्षार्थ लगे गार्ड्स के बारे में जानकारी रखना व गार्ड्स के मोबाइल नम्बर अंकित करना   |
| 16      | बैंकों की जानकारी रखना एवं उनके मैनेजर से सम्पर्क रखना/बैंक की सुरक्षा व्यवस्था देखना/बैंक गार्डों की जानकारी रखना/ बैंक के आसपास संदिग्ध व्यक्तियों पर नजर रखना व चेकिंग करना |
| 17      | स्कूल, कोचिंग सेन्टर, हॉस्टल की जानकारी एवं गुण्डा तत्वों पर नजर रखना  |
| 18      | शराब ठेके, मॉडल शॉप की जानकारी रखना एवं उनके आस-पास भीड़ न होने देना   |
| 19      | होटल, धर्मशाला, रेस्टोरेंट, क्लब आदि के मालिक, मैनेजर, कर्मचारियों आदि की पूर्ण जानकारी रखना एवं होटल में रुकने वाले संदिग्ध व्यक्तियों से पूछताछ करना                         |
| 20      | नो पार्किंग जोन में गाड़ी खड़ी न होने देना, ताकि यातायात की समस्या उत्पन्न न हो  |
| 21      | ट्रेवल्स, स्टैंड, गैराज (मोटर/रिक्शा/टैला) की जानकारी करना   |
| 22      | पेट्रोल पम्पों की जानकारी, पेट्रोल पम्प के मालिक, मैनेजर एवं कर्मचारियों आदि की पूर्ण जानकारी रखना एवं उनसे सम्पर्क कर सामन्जस्य बनाये रखना                                    |
| 23      | अस्पताल, क्लीनिक, डाक्टरों की जानकारी रखना   |
| 24      | मन्दिर, मस्जिद, गुरुद्वारा एवं गिरिजाघरों आदि धार्मिक स्थलों की जानकारी रखना   |
| 25      | सरकारी कार्यालय, भवनों एवं प्रतिष्ठानों की महत्वपूर्ण जानकारी रखना   |
| 26      | ग्राउन्ड सुरक्षा एजेंसियों/गुप्तपूर्ण व्यापारिक प्रतिष्ठानों की जानकारी रखना   |
| 27      | पार्कों एवं पार्कों के अधिकारियों/कर्मचारियों से सम्पर्क बनाये रखना  |
| 28      | क्षेत्र में लगी महानुभावों/महापुरुषों की प्रतिमाओं की जानकारी एवं उनकी सुरक्षा रखना  |
| 29      | बाजार/हाटों में व्यवस्था बनाये रखना तथा अतिक्रमण कर लगायी गयी दुकानों एवं ठेलों आदि के विरुद्ध 34 पुलिस अधि० व यू०पी० अरबन प्लानिंग एण्ड डेवेलपमेंट एक्ट 1973 की धारा 26 के    |

|    |  |
|----|--|
|    | अन्तर्गत व भादवि की अन्य धाराओं के अन्तर्गत कार्यवाही कराने के लिए थानाध्यक्ष को रिपोर्ट देना  |
| 30 | सिनेमा हॉल/मॉल/व्यापारिक प्रतिष्ठानों की जानकारी एवं सुरक्षा व्यवस्था बनाये रखना   |
| 31 | क्षेत्र की अधिक से अधिक जानकारी एवं उक्त सभी के सम्पर्क नम्बरों की जानकारी, बीट बुक तैयार करना   |
| 32 | प्रत्येक क्षेत्र के लोगों से वार्ता कर पुलिस प्राथमिकता तय कर वहाँ के निवासियों की समस्याओं की जानकारी करना एवं पुलिस द्वारा संवेदनशीलता के साथ कार्ययोजना बनाकर अपेक्षित कार्यवाही करना |
| 33 | बाल अपराध की जानकारी करना  |
| 34 | स्कूलों के प्रारम्भ व समाप्ति के समय की जानकारी एवं उससे उत्पन्न यातायात समस्या का निदान   |
| 35 | मार्निंग वॉक के स्थानों को चिन्हित कर निगरानी एवं सुरक्षा के सम्बन्ध में कार्यवाही   |
| 36 | चेन, पर्स स्नेचिंग एवं वाहन चोरी से सम्बन्धित स्थानों का चिन्हीकरण   |
| 37 | यातायात व जाम की समस्या से प्रभावित क्षेत्र, स्थान व समय का चिन्हीकरण एवं कार्यवाही  |
| 38 | चौराहों एवं तिराहों का चिन्हीकरण कर वहाँ खड़े होने वाले टैक्सी व अन्य वाहनों के 25 मीटर के अन्दर तक खड़े होने पर जाम के दृष्टिगत कार्यवाही   |
| 39 | ए0टी0एम0 गार्ड्स, पार्किंग ठेकेदार, गैराज मालिक, कबाड़ी आदि से सम्बन्धित व्यक्तियों के बारे में जानकारी रखना   |
| 40 | अपराध प्रभावित क्षेत्रों का चिन्हीकरण करना   |
| 41 | ट्रैफिक आरक्षी के द्वारा संचालित की जा रही यातायात व्यवस्था को स्टॉप लाइन व जेब्रा लाइन पर रूकवाने में मदद करना  |
| 42 | चौराहों पर एक्सीडेंट आदि हो जाने पर तत्काल वाहनों को रूट से हटाकर सही दिशा में लगवाना, जिससे यातायात बाधित न हो एवं उसकी सूचना सम्बन्धित थाना व सम्बन्धित अधिकारियों को देना             |
| 44 | मोटर अधिनियम के तहत कार्यवाही का आदेश मिलने पर यातायात पुलिस की सहायता करना  |
| 45 | आकस्मिक या सूचना मिलने पर यातायात डायवर्जन करने में पुलिस की सहायता करना   |
| 46 | यातायात पुलिस जो चौराहों या तिराहों पर लगी है, उससे किसी तरह का वाद विवाद होने पर यातायात पुलिस की सहायता करना   |
| 47 | चौराहे, तिराहे पर बायीं तरफ जाने वाले यातायात को सुचारु रूप से चलने देना   |
| 48 | नो-स्टॉपिंग एव नो-पार्किंग जोन को कियान्वित करने के लिए सीटी का प्रयोग करना  |
| 49 | स्कूल व कालेज के मार्निंग व दोपहर में लगने व छूटने के समय वहाँ उपस्थित होकर यातायात व्यवस्था को नियंत्रित करना/विवेकानुसार डायवर्जन करना   |
| 50 | अवकाश व रविवार आदि दिनों में सांयकाल सिनेमा हाल रेस्टोरेट, इटिंग प्वाइंट मॉल आदि के पास पार्किंग व यातायात व्यवस्था को नियंत्रित करना  |
| 51 | धार्मिक मेला, त्यौहार व अन्य प्रयोजनों/अवसरों पर यातायात व्यवस्था नियंत्रित करना   |
| 52 | यातायात व्यवस्था के लिए सामान्य जन का सहयोग लेना   |
| 53 | आगामी त्यौहार जैसे मोहर्रम, रमजान, होली, पशहरा आदि पर सम्भावित विवादों की समय पूर्व सूचना देना   |
| 54 | रिक्शा, ऑटो रिक्शा चलाने वाले व फुटपाथ पर टेला लगाने वालों की जानकारी रखना   |
| 55 | पुलिस के मददगारों के नाम व पते की जानकारी रखना एवं उनसे लाभप्रद सूचना लेना   |
| 56 | बीट क्षेत्र से प्राप्त शिकायती प्रार्थना पत्रों में कार्यवाही  |
| 57 | रात्रि गश्त में भ्रमणशील कर्मचारीगण द्वारा सीटी का प्रयोग करना एवं संदिग्ध को रोककर नाम पता व वहाँ आने-जाने का कारण पूछना  |



## बीट आरक्षियों द्वारा बीट क्षेत्र का भ्रमण

| बीट आरक्षी का बीट में जाने एवं थाने वापस आने का दिनांक व जी0डी0 | बीट के ग्राम/ मोहल्ले / कालोनी का नाम, जिसमें भ्रमण किया जाना है | बीट में किस किस से भेंट की गयी, का नाम व मो0नं0 | अंकित करायी गयी सूचना का विवरण | बीट सूचना के जॉचकर्ता का नाम व पद | जॉच का परिणाम / कार्यवाही |
|---|--|---|--------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|
|   |  |   |                                |                                   |                           |
|   |  |   |                                |                                   |                           |
|   |  |   |                                |                                   |                           |
|   |  |   |                                |                                   |                           |
|   |  |   |                                |                                   |                           |
|   |  |   |                                |                                   |                           |
|   |  |   |                                |                                   |                           |
|   |  |   |                                |                                   |                           |
|   |  |   |                                |                                   |                           |
|   |  |   |                                |                                   |                           |
|   |  |   |                                |                                   |                           |
|   |  |   |                                |                                   |                           |
|   |  |   |                                |                                   |                           |
|   |  |   |                                |                                   |                           |
|   |  |   |                                |                                   |                           |
|   |  |   |                                |                                   |                           |
|   |  |   |                                |                                   |                           |
|   |  |   |                                |                                   |                           |
|   |  |   |                                |                                   |                           |
|   |  |   |                                |                                   |                           |
|   |  |   |                                |                                   |                           |
|   |  |   |                                |                                   |                           |
|   |  |   |                                |                                   |                           |
|   |  |   |                                |                                   |                           |
|   |  |   |                                |                                   |                           |
|   |  |   |                                |                                   |                           |

**नोट:** यह प्रारूप आवश्यकतानुसार एक से अधिक पृष्ठ का बनाया जा सकता है।



# भाग-1

## भौगोलिक विवरण एवं सामान्य जानकारियाँ

- 1.1 मानचित्र
- 1.2 बीट में पड़ने वाले स्थानों का विवरण
- 1.3 ग्राम में लगने वाले मेले/वार्षिक आयोजन/कवि सम्मेलन/  
जयन्ती/स्थानीय त्यौहारों का विवरण
- 1.4 घुमन्तू जनजाति के लोग जो प्रतिवर्ष गांव में आकर डेरा डालते हैं,  
का विवरण
- 1.5 अन्य कोई महत्वपूर्ण विवरण

## 1.1 मानचित्र

(इस पृष्ठ पर बीट के ग्राम/मोहल्लों का संक्षिप्त मानचित्र बनाया जाये, थाने एवं मुख्यालय से पहुँचने वाले मार्गों एवं महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों को दर्शाया जाये)

## 1.2 बीट में पड़ने वाले महत्वपूर्ण स्थानों का विवरण

(इस कॉलम में बीट में पड़ने वाले निम्न स्थलों का विवरण अंकित किया जायेगा)

- |                               |  |  |
|-------------------------------|--|--|
| 1. बैंक                       | 10. बिजली के प्रतिष्ठान                  | 19. सर्राफा बाजार                      |
| 2. पेट्रोल पम्प               | 11. एलपीजी डिपो                          | 20. पशु बाजार                          |
| 3. अस्पताल/नर्सिंग होम        | 12. टी0पी0 सेन्टर                        | 21. विस्फोटक बेचने वाले स्थान          |
| 4. सिनेमा हॉल                 | 13. डाक घर/टेलीग्राम                     | 22. बैराज (मोटर/रिक्शा/टैला)           |
| 5. शिक्षण संस्थान             | 14. खाने, पीने की जगह<br>(ईटिंग प्वाइंट) | 23. मॉडल शॉप, बार, लाउन्ज,<br>डिस्कथेक |
| 6. होटल/लॉज/ढाबा/<br>धर्मशाला | 15. सड़क/रेलवे पुल                       | 24. विवादित स्थल                       |
| 7. साइबर कैफे                 | 16. घाट                                  | 25. कब्रिस्तान                         |
| 8. रेलवे स्टेशन               | 17. सरकारी ठेकेदार                       | 26. पार्क (मार्निंग वॉक के स्थान)      |
| 9. बस/टैम्पो/तांगा<br>स्टैण्ड | 18. धार्मिक स्थल                         |  |

| क्र०सं० | महत्वपूर्ण स्थल का नाम | ग्राम/मोहल्ला जहाँ स्थित है | विवरण (मालिक का नाम मो०नं० आदि) |
|---------|------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
|         |                        |                             |                                 |
|         |                        |                             |                                 |
|         |                        |                             |                                 |
|         |                        |                             |                                 |
|         |                        |                             |                                 |
|         |                        |                             |                                 |
|         |                        |                             |                                 |
|         |                        |                             |                                 |
|         |                        |                             |                                 |
|         |                        |                             |                                 |
|         |                        |                             |                                 |
|         |                        |                             |                                 |
|         |                        |                             |                                 |
|         |                        |                             |                                 |
|         |                        |                             |                                 |
|         |                        |                             |                                 |
|         |                        |                             |                                 |
|         |                        |                             |                                 |
|         |                        |                             |                                 |

1.3 ग्राम/मोहल्लों/कालोनियों में लगने वाले मेले/पशु मेले/वार्षिक आयोजन/कवि सम्मेलन/जयन्ती आदि/स्थानीय त्यौहारों/(मोहर्रम/हनुमान जयन्ती/महाशिवरात्रि आदि), नववर्ष/किसमस/ वेलेन्टाइन-डे आदि का विवरण एवं संवेदनशील बिन्दु-



## 1.5 अन्य कोई महत्वपूर्ण विवरण—

## भाग-2

बीट के अन्तर्गत आने वाले ग्राम/मोहल्लों के प्रमुख व्यक्तियों के नाम

2.6 क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों के नाम

2.7 पुलिस पेंशनर्स/अन्य विभागों के पेंशनर्स/राजपत्रित/गणमान्य व्यक्ति

2.8 बीट क्षेत्र के शस्त्र लाइसेंसधारियों के नाम

2.9 ग्राम सुरक्षा समिति के सदस्यों के नाम

2.10 नव धनाढ्य व्यक्ति, जिनके आय के श्रोत संदिग्ध हैं

2.11 पुलिस के मददगारों के नाम

2.12 उप प्रधान/वार्ड मेम्बर/ग्राम प्रहरी एवं लेखपाल के नाम पता व मोबाइल नम्बर/शासकीय /अर्द्धशासकीय व्यक्तियों के नाम

2.13 पुजारी/मौलवी/मदरसा संचालक के नाम व मो0नं0

2.14 अन्य महत्वपूर्ण व्यक्ति जिनका विवरण अंकित करना चाहें

## 2.6 क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों के नाम-

| क्र०सं० | पद                            | नाम एवं पता | टेलीफोन/मो०नं० |
|---------|-------------------------------|-------------|----------------|
| 1.      | सांसद                         |             |                |
| 2.      | विधायक                        |             |                |
| 3.      | सभासद                         |             |                |
| 4.      | एम०एल०सी०                     |             |                |
| 5.      | ब्लाक प्रमुख                  |             |                |
| 6.      | ग्राम प्रधान                  |             |                |
| 7.      | व्यापार मण्डल                 |             |                |
| 8.      | अध्यक्ष / यूनियन<br>पदाधिकारी |             |                |
|         |                               |             |                |
|         |                               |             |                |
|         |                               |             |                |
|         |                               |             |                |
|         |                               |             |                |
|         |                               |             |                |
|         |                               |             |                |
|         |                               |             |                |
|         |                               |             |                |
|         |                               |             |                |
|         |                               |             |                |
|         |                               |             |                |
|         |                               |             |                |
|         |                               |             |                |
|         |                               |             |                |
|         |                               |             |                |
|         |                               |             |                |
|         |                               |             |                |
|         |                               |             |                |
|         |                               |             |                |
|         |                               |             |                |
|         |                               |             |                |
|         |                               |             |                |















2.13 पुजारी/मौलवी/मदरसा संचालक के नाम व मो०नं०-

2.14 अन्य व्यक्ति जिनका विवरण अंकित करना चाहें(जैसे पुलिस विरोधी आदि)–



## भाग-3

# विवाद/शत्रुता

3.15 विवाद/शत्रुता

3.16 अवैध सम्बन्धों के सम्बन्ध में विवाद

3.17 महिलाओं से छेड़खानी का विवाद

3.18 अन्य कोई विवाद जो अंकित करना चाहें

**3.15 विवाद / शत्रुता (इस शीर्षक के अन्तर्गत बीट में मौजूद निम्न प्रकार के विषयों का विवरण अंकित किया जाये)**

1. भूमि विवाद-रास्ता, चकरोड, नाली, कूड़ा डालना, सहन, मेढ़, मन्दिर-मस्जिद, कब्रिस्तान के स्वामित्व आदि का विवाद
2. पारिवारिक विवाद, बंटवारे सम्बन्धी विवादों को अंकित किया जाये
3. पार्टीबन्दी, अपराधी / राजनैतिक / सामाजिक / आर्थिक / जातिगत पार्टी सम्बन्धी विवाद
4. नहर काटने सम्बन्धी विवाद
5. आवासीय विवाद

| क्र०सं० | गांव/मोहल्ला/<br>कालोनी का नाम | प्रथम पक्ष | द्वितीय पक्ष | विवाद का<br>कारण | निरोधात्मक<br>कार्यवाही का<br>विवरण |
|---------|--------------------------------|------------|--------------|------------------|-------------------------------------|
|         |                                |            |              |                  |                                     |
|         |                                |            |              |                  |                                     |
|         |                                |            |              |                  |                                     |
|         |                                |            |              |                  |                                     |
|         |                                |            |              |                  |                                     |
|         |                                |            |              |                  |                                     |
|         |                                |            |              |                  |                                     |
|         |                                |            |              |                  |                                     |
|         |                                |            |              |                  |                                     |
|         |                                |            |              |                  |                                     |
|         |                                |            |              |                  |                                     |
|         |                                |            |              |                  |                                     |
|         |                                |            |              |                  |                                     |
|         |                                |            |              |                  |                                     |
|         |                                |            |              |                  |                                     |
|         |                                |            |              |                  |                                     |
|         |                                |            |              |                  |                                     |
|         |                                |            |              |                  |                                     |
|         |                                |            |              |                  |                                     |
|         |                                |            |              |                  |                                     |
|         |                                |            |              |                  |                                     |
|         |                                |            |              |                  |                                     |

3.16 अवैध सम्बन्धों के सम्बन्ध में विवाद—

| पुरुष का नाम | महिला का नाम | किसके द्वारा विवाद पैदा किया जा सकता है |
|--------------|--------------|---|
|              |              |   |
|              |              |   |
|              |              |   |
|              |              |   |
|              |              |   |
|              |              |   |
|              |              |   |
|              |              |   |
|              |              |   |
|              |              |   |
|              |              |   |
|              |              |   |
|              |              |   |
|              |              |   |
|              |              |   |
|              |              |   |
|              |              |   |
|              |              |   |
|              |              |   |
|              |              |   |
|              |              |   |
|              |              |   |
|              |              |   |
|              |              |   |
|              |              |   |

### 3.17 महिलाओं से छेड़खानी का विवरण-

| क०सं० | आरोपी का नाम व पता | मोबाइल नंबर | अन्य विवरण |
|-------|--------------------|-------------|------------|
| 1     | 2                  | 3           | 4          |

3.18 अन्य कोई विवाद जो अंकित करना चाहें –

## भाग-4

# आपराधिक ठिकानों का विवरण

- 4.19 जुआ घर/जुआ खेलने के स्थान
- 4.20 वैश्यावृत्ति कराने वाले/स्थान/रैकेट
- 4.21 अवैध शराब बनाने वाले/स्थान
- 4.22 अवैध असलहा बनाने वाले/बेचने वाले
- 4.23 चोरी/लूट की सम्पत्ति खरीदने वाले
- 4.24 अश्लील साहित्य बेचने वाले/वीडियो दिखाने वालों के नाम
- 4.25 गंजाक पदार्थों जैसे हेरोईन/चरस/गांजा बिकने का स्थान व सम्बन्धित व्यक्ति
- 4.26 ऐसे स्थान जहाँ महिलाओं से छेड़खानी व छींटाकशी करने की शिकायत रहती है।
- 4.27 अन्य कोई आपराधिक ठिकाना अथवा अड्डा, जो अंकित करना चाहें

#### 4.19 जुआ घर/जुआ खेलने के स्थान--

| स्थान का विवरण | ऐसे दलाल/संचालक व अन्य सहयोगियों के नाम व नम्बर जो जुआ खिलाते हैं | खेलने वालों के नाम व पते |
|----------------|---|--------------------------|
|                |   |                          |
|                |   |                          |
|                |   |                          |
|                |   |                          |
|                |   |                          |

#### 4.20 वैश्यावृत्ति कराने वाले/स्थान/रैकेट--

| स्थान का विवरण | ऐसे दलाल/संचालक व अन्य सहयोगियों के नाम व फोन नं० जो वैश्यावृत्ति करा रहे हों अथवा कालगर्ल रैकेट चला रहे हों | ग्राहकों के नाम व पते |
|----------------|--|-----------------------|
|                |  |                       |
|                |  |                       |
|                |  |                       |
|                |  |                       |
|                |  |                       |
|                |  |                       |

**4.21 अवैध शराब बनाने वाले स्थान (इस शीर्षक के अन्तर्गत शराब बनाने के स्थानों, व्यक्तिगत/गैंग का विवरण जो इस धंधे में लिप्त हैं तथा अन्य महत्वपूर्ण विवरण अंकित किये जायें)**

| अवैध शराब बनाने का स्थान | व्यक्तियों/गैंग का विवरण | अन्य महत्वपूर्ण विवरण |
|--------------------------|--------------------------|-----------------------|
|                          |                          |                       |
|                          |                          |                       |
|                          |                          |                       |
|                          |                          |                       |
|                          |                          |                       |
|                          |                          |                       |
|                          |                          |                       |

**4.22 अवैध शस्त्र बनाने/बेचने वाले— (इस शीर्षक के अन्तर्गत अवैध शस्त्र बनाने के स्थानों, व्यक्तिगत/गैंग का विवरण जो इस धन्धे में लिप्त हैं तथा अन्य महत्वपूर्ण विवरण अंकित किया जायेगा)**

| अवैध शस्त्र बनाने का स्थान | व्यक्तियों/गैंग का विवरण | अन्य महत्वपूर्ण विवरण |
|----------------------------|--------------------------|-----------------------|
|                            |                          |                       |
|                            |                          |                       |
|                            |                          |                       |
|                            |                          |                       |
|                            |                          |                       |
|                            |                          |                       |
|                            |                          |                       |



#### 4.23 चोरी/लूट की सम्पत्ति खरीदने वाले-

| क्र०सं० | चोरी/लूट की सम्पत्ति खरीदने वाले व्यक्तियों के नाम व पते | अन्य महत्वपूर्ण विवरण |
|---------|--|-----------------------|
|         |  |                       |
|         |  |                       |
|         |  |                       |
|         |  |                       |
|         |  |                       |
|         |  |                       |

#### 4.24 अश्लील साहित्य बेचने वाले/वीडियो दिखाने वालों के नाम (इस शीर्षक के अन्तर्गत उन व्यक्तियों के नाम, पते व मो०नं०, जो अश्लील साहित्य, वीडियो, सी०डी० रखते, बेचते व चलाते हों, का विवरण अंकित किया जाये)

| क्र०सं० | अश्लील साहित्य, वीडियो, सी०डी० रखने बेचने वालों के नाम व पते | अन्य महत्वपूर्ण विवरण |
|---------|--|-----------------------|
|         |  |                       |
|         |  |                       |
|         |  |                       |
|         |  |                       |
|         |  |                       |





4.27 अन्य कोई आपराधिक ठिकाना/अड्डा जो अंकित करना चाहें -

## भाग-5

5.28 एफ0आई0आर0 (अब तक जिसमें तनाव हो) (1 जनवरी 20....)

5.29 एन0सी0आर0 (अब तक जिसमें तनाव हो) (1 जनवरी 20....)

5.30 बीट सूचना

5.31 बीट आरक्षी द्वारा किये गये सराहनीय कार्य

5.28 एफ0आई0आर0 (अब तक जिसमें तनाव हो)

| क्र०सं० | ग्राम/मोहल्ला<br>/ कालोनी<br>का नाम | मु०अ०सं० | धारा | वादी | प्रतिवादी | वर्तमान में<br>तनाव है<br>अथवा नहीं | यदि तनाव<br>है तो<br>कार्यवाही<br>का विवरण |
|---------|-------------------------------------|----------|------|------|-----------|-------------------------------------|--|
|         |                                     |          |      |      |           |                                     |  |
|         |                                     |          |      |      |           |                                     |  |
|         |                                     |          |      |      |           |                                     |  |
|         |                                     |          |      |      |           |                                     |  |
|         |                                     |          |      |      |           |                                     |  |
|         |                                     |          |      |      |           |                                     |  |
|         |                                     |          |      |      |           |                                     |  |
|         |                                     |          |      |      |           |                                     |  |
|         |                                     |          |      |      |           |                                     |  |
|         |                                     |          |      |      |           |                                     |  |
|         |                                     |          |      |      |           |                                     |  |
|         |                                     |          |      |      |           |                                     |  |
|         |                                     |          |      |      |           |                                     |  |
|         |                                     |          |      |      |           |                                     |  |
|         |                                     |          |      |      |           |                                     |  |
|         |                                     |          |      |      |           |                                     |  |
|         |                                     |          |      |      |           |                                     |  |
|         |                                     |          |      |      |           |                                     |  |
|         |                                     |          |      |      |           |                                     |  |
|         |                                     |          |      |      |           |                                     |  |
|         |                                     |          |      |      |           |                                     |  |
|         |                                     |          |      |      |           |                                     |  |
|         |                                     |          |      |      |           |                                     |  |
|         |                                     |          |      |      |           |                                     |  |
|         |                                     |          |      |      |           |                                     |  |
|         |                                     |          |      |      |           |                                     |  |
|         |                                     |          |      |      |           |                                     |  |
|         |                                     |          |      |      |           |                                     |  |
|         |                                     |          |      |      |           |                                     |  |

5.29 एन0सी0आर0 (अब तक जिसमें तनाव हो)

| क्र0सं0 | ग्राम/मोहल्ला<br>/कालोनी<br>का नाम | एन0सी0आर0 | धारा | वादी | प्रतिवादी | वर्तमान में<br>तनाव है<br>अथवा नहीं | यदि तनाव<br>है तो<br>कार्यवाही<br>का विवरण |
|---------|------------------------------------|-----------|------|------|-----------|-------------------------------------|--|
|         |                                    |           |      |      |           |                                     |  |
|         |                                    |           |      |      |           |                                     |  |
|         |                                    |           |      |      |           |                                     |  |
|         |                                    |           |      |      |           |                                     |  |
|         |                                    |           |      |      |           |                                     |  |
|         |                                    |           |      |      |           |                                     |  |
|         |                                    |           |      |      |           |                                     |  |
|         |                                    |           |      |      |           |                                     |  |
|         |                                    |           |      |      |           |                                     |  |
|         |                                    |           |      |      |           |                                     |  |
|         |                                    |           |      |      |           |                                     |  |
|         |                                    |           |      |      |           |                                     |  |
|         |                                    |           |      |      |           |                                     |  |
|         |                                    |           |      |      |           |                                     |  |
|         |                                    |           |      |      |           |                                     |  |
|         |                                    |           |      |      |           |                                     |  |
|         |                                    |           |      |      |           |                                     |  |
|         |                                    |           |      |      |           |                                     |  |
|         |                                    |           |      |      |           |                                     |  |
|         |                                    |           |      |      |           |                                     |  |
|         |                                    |           |      |      |           |                                     |  |
|         |                                    |           |      |      |           |                                     |  |
|         |                                    |           |      |      |           |                                     |  |
|         |                                    |           |      |      |           |                                     |  |

## 5.30 बीट सूचना

| क्र०सं० | ग्राम/मोहल्ला/कालोनी<br>का नाम | बीट सूचना<br>का दिनांक | बीट सूचना का विवरण | वर्तमान स्थिति |
|---------|--------------------------------|------------------------|--------------------|----------------|
|         |                                |                        |                    |                |
|         |                                |                        |                    |                |
|         |                                |                        |                    |                |
|         |                                |                        |                    |                |
|         |                                |                        |                    |                |
|         |                                |                        |                    |                |
|         |                                |                        |                    |                |
|         |                                |                        |                    |                |
|         |                                |                        |                    |                |
|         |                                |                        |                    |                |
|         |                                |                        |                    |                |
|         |                                |                        |                    |                |
|         |                                |                        |                    |                |
|         |                                |                        |                    |                |
|         |                                |                        |                    |                |
|         |                                |                        |                    |                |
|         |                                |                        |                    |                |
|         |                                |                        |                    |                |
|         |                                |                        |                    |                |
|         |                                |                        |                    |                |
|         |                                |                        |                    |                |
|         |                                |                        |                    |                |
|         |                                |                        |                    |                |
|         |                                |                        |                    |                |
|         |                                |                        |                    |                |
|         |                                |                        |                    |                |
|         |                                |                        |                    |                |
|         |                                |                        |                    |                |
|         |                                |                        |                    |                |



### 5.31 बीट आरक्षी द्वारा किये गये सराहनीय कार्य-

## भाग-6

### अपराधियों की सुरागरसी / पतारसी

- 6.32 गत 10 वर्षों में निम्न शीर्षकों में जेल गये अपराधियों का विवरण
- 6.33 गुण्डा अधिनियम के अपराधी
- 6.34 ईनामी / फरार / मफरूर अपराधी
- 6.35 हिस्ट्रीशीटर्स / सजायावी / पेशेवर अपराधी
- 6.36 माफिया का नाम (भू-माफिया / शराब माफिया / खनन माफिया / वन माफिया / सूदखोर माफिया / होर्डिंग्स माफिया / परिवहन माफिया)
- 6.37 गैंगेस्टर एक्ट एवं रजिस्टर्ड गैंगों के सदस्यों का विवरण

6.32 गत 10 वर्षों में निम्न शीर्षकों में जेल गये अपराधियों का विवरण (इस शीर्षक के अन्तर्गत उन अपराधियों का विवरण अंकित किया जाये, जिन्होंने गत 10 वर्ष में निम्न अपराध कारित किये हों)

1. डकैती
2. लूट/रोड होल्डअप/छिनाैती/पर्स स्नेचिंग/चेन स्नेचिंग
3. फिरौती हेतु अपहरण
4. एक से अधिक हत्या
5. समस्त चोरी, वाहन चोरी, तार चोरी, पशु चोरी, इंजन चोरी, घर की चोरियां
6. नकबजनी
7. अवैध शस्त्र निर्माण करने वाले
8. मादक पदार्थ जैसे-चरस गांजा आदि की तस्करी में लिप्त व्यक्ति
9. पशु तस्कर (यदि गांव के व्यक्ति ने अन्य थाने/जनपद में अपराध किया है तब भी उसका नाम सूचना में अंकित किया जाये)।

| क्र०सं० | अपराधी का नाम, पिता का नाम | ग्राम मोहल्ला/ कालोनी | उम्र | मु०अ०सं० व धारा व थाना | कुल मुकदमों की संख्या | वर्तमान स्थिति (जेल/बाहर) | सक्रिय/निष्क्रिय |
|---------|----------------------------|-----------------------|------|------------------------|-----------------------|---------------------------|------------------|
|         |                            |                       |      |                        |                       |                           |                  |
|         |                            |                       |      |                        |                       |                           |                  |
|         |                            |                       |      |                        |                       |                           |                  |
|         |                            |                       |      |                        |                       |                           |                  |
|         |                            |                       |      |                        |                       |                           |                  |
|         |                            |                       |      |                        |                       |                           |                  |
|         |                            |                       |      |                        |                       |                           |                  |
|         |                            |                       |      |                        |                       |                           |                  |
|         |                            |                       |      |                        |                       |                           |                  |
|         |                            |                       |      |                        |                       |                           |                  |
|         |                            |                       |      |                        |                       |                           |                  |
|         |                            |                       |      |                        |                       |                           |                  |
|         |                            |                       |      |                        |                       |                           |                  |
|         |                            |                       |      |                        |                       |                           |                  |
|         |                            |                       |      |                        |                       |                           |                  |
|         |                            |                       |      |                        |                       |                           |                  |
|         |                            |                       |      |                        |                       |                           |                  |

6.33 गुण्डा अधिनियम के अपराधी (जिन व्यक्तियों पर गुण्डा अधिनियम की कार्यवाही की गयी है)

| क्र०सं० | नाम पता<br>अपराधी | ग्राम मोहल्ला/<br>कालोनी | मु०अ०सं० | पंजीकरण का<br>दिनांक | जिला बदर<br>की अवधि |
|---------|-------------------|--------------------------|----------|----------------------|---------------------|
|         |                   |                          |          |                      |                     |
|         |                   |                          |          |                      |                     |
|         |                   |                          |          |                      |                     |
|         |                   |                          |          |                      |                     |
|         |                   |                          |          |                      |                     |
|         |                   |                          |          |                      |                     |
|         |                   |                          |          |                      |                     |
|         |                   |                          |          |                      |                     |
|         |                   |                          |          |                      |                     |
|         |                   |                          |          |                      |                     |
|         |                   |                          |          |                      |                     |
|         |                   |                          |          |                      |                     |
|         |                   |                          |          |                      |                     |
|         |                   |                          |          |                      |                     |
|         |                   |                          |          |                      |                     |
|         |                   |                          |          |                      |                     |
|         |                   |                          |          |                      |                     |
|         |                   |                          |          |                      |                     |
|         |                   |                          |          |                      |                     |
|         |                   |                          |          |                      |                     |
|         |                   |                          |          |                      |                     |
|         |                   |                          |          |                      |                     |
|         |                   |                          |          |                      |                     |
|         |                   |                          |          |                      |                     |
|         |                   |                          |          |                      |                     |
|         |                   |                          |          |                      |                     |
|         |                   |                          |          |                      |                     |
|         |                   |                          |          |                      |                     |
|         |                   |                          |          |                      |                     |
|         |                   |                          |          |                      |                     |
|         |                   |                          |          |                      |                     |
|         |                   |                          |          |                      |                     |
|         |                   |                          |          |                      |                     |
|         |                   |                          |          |                      |                     |
|         |                   |                          |          |                      |                     |
|         |                   |                          |          |                      |                     |







## 6.37 गैंगेस्टर एक्ट एवं रजिस्टर्ड गैंगों के सदस्यों का विवरण-

| क्र०सं० | नाम व पता एवं मो०नं० | मु०अ०सं० व धारा | वर्तमान स्थिति<br>(जेल/बाहर) |
|---------|----------------------|-----------------|------------------------------|
|         |                      |                 |                              |
|         |                      |                 |                              |
|         |                      |                 |                              |
|         |                      |                 |                              |
|         |                      |                 |                              |
|         |                      |                 |                              |
|         |                      |                 |                              |
|         |                      |                 |                              |
|         |                      |                 |                              |
|         |                      |                 |                              |
|         |                      |                 |                              |
|         |                      |                 |                              |
|         |                      |                 |                              |
|         |                      |                 |                              |
|         |                      |                 |                              |
|         |                      |                 |                              |
|         |                      |                 |                              |
|         |                      |                 |                              |
|         |                      |                 |                              |
|         |                      |                 |                              |
|         |                      |                 |                              |
|         |                      |                 |                              |
|         |                      |                 |                              |



## भाग-7

7.38 आवंटित प्रार्थना पत्रों की जाँच का विवरण

7.39 आवंटित एन0सी0आर0 की जाँच का विवरण

7.40 सम्मन/नोटिस/जमानती वारण्टों की तामीला का विवरण

7.41 विभिन्न प्रकार के सत्यापन (पासपोर्ट/शस्त्र लाइसेंस/चरित्र सत्यापन इत्यादि) का विवरण

7.42 बीट में मीटिंग

7.43 बीट भ्रमण/रात्रि विश्राम एवं अन्य महत्वपूर्ण विवरण

7.44 अन्य महत्वपूर्ण कार्य









## 7.42 बीट में मीटिंग-

| क्र०सं० | मीटिंग किसके द्वारा की गयी | नाम पदाधिकारीगण | मैबाइल नंबर | मीटिंग का दिनांक | मीटिंग में उपस्थितगण की सं० | अन्य विवरण |
|---------|----------------------------|-----------------|-------------|------------------|-----------------------------|------------|
| 1       | 2                          | 3               | 4           | 5                | 6                           | 7          |
|         |                            |                 |             |                  |                             |            |
|         |                            |                 |             |                  |                             |            |
|         |                            |                 |             |                  |                             |            |
|         |                            |                 |             |                  |                             |            |
|         |                            |                 |             |                  |                             |            |
|         |                            |                 |             |                  |                             |            |
|         |                            |                 |             |                  |                             |            |
|         |                            |                 |             |                  |                             |            |
|         |                            |                 |             |                  |                             |            |
|         |                            |                 |             |                  |                             |            |
|         |                            |                 |             |                  |                             |            |
|         |                            |                 |             |                  |                             |            |
|         |                            |                 |             |                  |                             |            |
|         |                            |                 |             |                  |                             |            |
|         |                            |                 |             |                  |                             |            |
|         |                            |                 |             |                  |                             |            |
|         |                            |                 |             |                  |                             |            |
|         |                            |                 |             |                  |                             |            |
|         |                            |                 |             |                  |                             |            |
|         |                            |                 |             |                  |                             |            |

## 7.43 बीट भ्रमण/रात्रि विश्राम एवं अन्य महत्वपूर्ण विवरण-

## 7.44 अन्य महत्वपूर्ण कार्य-



## अपराधी सूचना फार्म

नोट— बीट में रहने वाले अपराधियों के बारे में निर्धारित प्रारूप में फोटो व सूचनायें एकत्रित करेंगे। अपराधी के बारे में सूचना/फोटो/एकत्रित करने से पूर्व थानाध्यक्ष का अनुमोदन प्राप्त कर लेंगे। थानाध्यक्ष उन अपराधियों के फोटो/सूचनायें एकत्र करने हेतु बीट आरक्षी को अनुमोदन प्रदान करेंगे, जिन्होंने गत 10 वर्षों में निम्न श्रेणी के अपराध किये हों :—

- 1— पर्स स्नेचिंग, चेन स्नेचिंग, डकैती
- 2— लूट/रोड होल्डअप
- 3— फिरौती हेतु अपहरण
- 4— एक से अधिक हत्या
- 5— वाहन चोरी, सामान्य चोरी, तार चोरी, पशु चोरी, इंजन चोरी
- 6— समस्त प्रकार की नकबजनी का अपराध
- 7— अवैध शस्त्र निर्माण करने वाले
- 8— मादक पदार्थ जैसे—चरस, गांजा आदि की तस्करी में लिप्त व्यक्ति
- 9— पशु तस्कर

## अपराधी सूचना प्रारूप

एच0एस0 नं0.....

गैंग नं0.....

1. अपराधी का नाम पता.....
2. पिता का नाम.....
3. उम्र.....
4. वर्तमान पता.....
5. मूल पता.....
6. टेलीफोन/मो0नं0.....
7. वाहन जिसका प्रयोग करता हो.....
8. शस्त्र जो पास रखता हो.....
9. अपराध का प्रकार (अपहरण, लूट, चोरी इत्यादि).....
10. कुल मुकदमों की संख्या.....
11. वर्तमान स्थिति (घर में/जेल में/लापता/फरार/बाहर).....
12. वर्तमान कमाई का साधन (खेती/दुकान/अपराध).....
13. सक्रियता (सक्रिय/निष्क्रिय) .....
14. रिश्तेदार व परिवार के सदस्यों का विवरण.....

| क्र0 सं0 | सम्बन्ध (पिता, लड़का, भाई, चाचा, ताऊ, मौसा) | नाम व पिता का नाम | ग्राम/मोहल्ला/कालोनी | थाना | मो0नं0 |
|----------|---|-------------------|----------------------|------|--------|
|          |   |                   |                      |      |        |
|          |   |                   |                      |      |        |
|          |   |                   |                      |      |        |
|          |   |                   |                      |      |        |
|          |   |                   |                      |      |        |
|          |   |                   |                      |      |        |
|          |   |                   |                      |      |        |
|          |   |                   |                      |      |        |

15. सम्पत्ति का विवरण(मकान, जमीन, गाड़ी, आदि का विवरण)

(1)

(2)

(3)

16. अवैध सम्बन्धों का विवरण—

|  |
|--|
|  |
|--|

17. अपराधिक इतिहास—

| क्र०सं० | मु०अ०सं० | धारा | थाना | गिरफ्तार | हाजिर | वांछित | आरोप पत्र | अन्तिम रिपोर्ट | मुकदमें की स्थिति |
|---------|----------|------|------|----------|-------|--------|-----------|----------------|-------------------|
|         |          |      |      |          |       |        |           |                |                   |
|         |          |      |      |          |       |        |           |                |                   |
|         |          |      |      |          |       |        |           |                |                   |
|         |          |      |      |          |       |        |           |                |                   |
|         |          |      |      |          |       |        |           |                |                   |
|         |          |      |      |          |       |        |           |                |                   |
|         |          |      |      |          |       |        |           |                |                   |

18. साथी अपराधियों के नाम—

| क्र०सं० | नाम व पिता का नाम | ग्राम/मोहल्ला/कालोनी | थाना |
|---------|-------------------|----------------------|------|
|         |                   |                      |      |
|         |                   |                      |      |
|         |                   |                      |      |
|         |                   |                      |      |
|         |                   |                      |      |
|         |                   |                      |      |

19. जामिनदार का नाम—

| क्र०सं० | नाम | पता | क्या/कहाँ काम करता है | टेलीफोन नं० |
|---------|-----|-----|-----------------------|-------------|
|         |     |     |                       |             |
|         |     |     |                       |             |
|         |     |     |                       |             |
|         |     |     |                       |             |
|         |     |     |                       |             |
|         |     |     |                       |             |
|         |     |     |                       |             |
|         |     |     |                       |             |
|         |     |     |                       |             |
|         |     |     |                       |             |
|         |     |     |                       |             |

20. पुलिसकर्मी जो पहचानते हैं—

(1)

(2)

(3)

21. संरक्षण देने वालों के नाम व पते—

(1)

(2)

(3)

भरने वाले कर्मचारी का नाम व पता

बीट क्षेत्र में सी०सी०टी०वी० कैमरा-

बीट क्षेत्र में अन्य कोई समस्या -